

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- पीयूष समारिया  
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 36/2020

1. पंजाब नेशनल बैंक प्लॉट नं0 4 सेक्टर -10 द्वारका नई दिल्ली-110075, शाखा कार्यालय- बापू नगर, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मनोज कुमार।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी पता-1041 सिकन्दरिया का बास द्वारा सरस्वती विद्या विहार स्कूल ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा, जिला दौसा।
2. श्रीमति इंदिरा सैनी पत्नि श्री लेखराज सैनी पता-1041 सिकन्दरिया का बास द्वारा सरस्वती विद्या विहार स्कूल ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा, जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 03.09.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी पता-1041 सिकन्दरिया का बास द्वारा सरस्वती विद्या विहार स्कूल ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा, जिला दौसा को 53,00,000/- (रुपये तिरेपन लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बवजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक को सुना गया। हमने प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी/बंधककर्ता को रजिस्टर्ड डाक एवं जरिये 02 समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई अप्रार्थी श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी की सम्पत्ति प्लॉट नं0 ए-44 एवं ए-45 खसरा नं0 983/984 कुल क्षेत्रफल 400 वर्गगज जो कि आनन्द विहार कॉलोनी, गांव जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा